

राजस्थान-सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 147/2021

**बउनवान**

कंवरलाल पुत्र सुखलाल जाति लोधा निवासी धोलाड़ा तहसील छबड़ा जिला बाराँ

(अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबड़ा जिला बाराँ

(रेस्पोंडेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1- श्री संजय नागर अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोंडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 13.07.2021**

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 2085/2020 किस्म अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2020 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम धोलाड़ा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 67 की रकबा 2 बीघा भूमि पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 100/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया गया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

इस पर अपील को दिनांक 01.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली सात बार तलब किए जाने के उपरांत भी नहीं भिजवाने पर अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक** ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी माना है। जबकि विवादित आराजी पर उसका कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील निर्णय एवं दण्डादेश अधि० न्यायालय तहसीलदार छबड़ा दिनांक 20.03.2020 प्र०सं० 2085/20 निरस्त फरमाते हुये अपीलांट को दोषमुक्त घोषित फरमाया जावें।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत् रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली सात बार तलब की गई। किन्तु उनके द्वारा इस न्यायालय में मूल पत्रावली नहीं भिजवाया जाना खेदजनक है। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी जाकर आदेश सुनाया गया।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 2085/2020 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 20.03.2020 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत् रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जाँच करावे, यदि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम धोलाडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 67 की रकबा 2 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नहीं पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 2085/2020 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2020 यथावत् रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( मोहम्मद अबूबक्र )  
अति० जिला कलक्टर, बारों